



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान / ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[भर्ती प्रकोष्ठ / RECRUITMENT CEL]

No.F. 2-4/2018-Estt. (RCT)

अंसारी नगर नई दिल्ली-110029

Ansari Nagar, New Delhi-29

दिनांक/Dated

28 DEC 2018

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सुपरिटेन्डिंग फिजियोथेरेपिस्ट/ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद पर पदोन्नति।

Subject:- Promotion to the post of Supdt. Physiotherapist/Occupational Therapist at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 06.11.18 को सुपरिटेन्डेंट फिजियोथेरेपिस्ट/ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणाम स्वरूप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त श्री ओ.पी. यादव, वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट/ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को वेतन मैट्रिस के लेवल -11 (पूर्व संशोधित पी.बी-3 रु. 15600-39100 एवं ग्रेड पे-रु. 6600/-) के अंतर्गत सुपरिटेन्डिंग फिजियोथेरेपिस्ट/ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद पर इस पदोन्नति पत्र के जारी होने के 07 दिनों के अंदर एन.सी.आई., झज्जर में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है। यदि निर्धारित समयावधि के अंदर एन.सी.आई., झज्जर में पदभार ग्रहण नहीं करते तो समझा/माना जाएगा कि वह पदोन्नति को अस्वीकार करते हैं।


Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Supdt. Physiotherapist/Occupational Therapist held on 06.11.18 and its acceptance by the Competent Authority, Sh. O.P. Yadav, Sr. Physiotherapist/Occupational Therapist is promoted to the post of Supdt. Physiotherapist/Occupational Therapist in Level-11 in the pay matrix (pre-revised PB-3 Rs. 15600-39100 + 6600 Grade Pay) from the date he assumes the charge of the post of Supdt. Physiotherapist/Occupational Therapist at NCI, Jhajjar within seven days from the of issue of this Office Order failing which it will be presumed that he has denied his promotion.

श्री ओ.पी. यादव, सुपरिटेन्डेंट फिजियोथेरेपिस्ट/ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को सलाह दी जाती है कि यदि वह निश्चित समयावधि में एन.सी.आई., झज्जर में सुपरिटेन्डेंट फिजियोथेरेपिस्ट/ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद पर पदभार ग्रहण करने में असफल होते हैं तो सुपरिटेन्डेंट फिजियोथेरेपिस्ट/ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद पर उनकी पदोन्नति को रद्द/वापस माना जाएगा। डी.ओ.पी.टी. के दिशानिर्देशों के द्वारा यदि कोई उम्मीदवार ऐसे मामलों में निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नति को स्वीकार नहीं करता तो पदोन्नति को अस्वीकार करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि या अगली रिक्ति आने तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।

Sh. O.P. Yadav, Sr. Physiotherapist/Occupational Therapist is advised to join the post of Supdt. Physiotherapist/Occupational Therapist in NCI, Jhajjar within stipulated period, failing which the offer of promotion made to him will be treated as cancelled/ withdrawn. It is also informed that in terms of DOP&T guidelines, if any candidate refuses to join the new post on promotion within stipulated period in such cases, he/she will not be considered for promotion for a period of one year from the date of refusal of such promotion or till a next vacancy arises, whichever is later.

जारी / contd---02

Mr. Sanjeev



वे दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई..बाढसा झझर/एन.डी.टी.सी. गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

He will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of his status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Balladgharh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad and NCI, Jhajjar, and at any other Centre opened by the Institute in future.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर. 22 (1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बरश्ते उन्हें आशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना (MACPS) के अंतर्गत वेतनमान- पी.बी.-3 रु. 15600-39100 ग्रेड पे-रु. 6600 प्रदान नहीं किया गया।

He is advised to exercise his option for fixation of his pay under FR-22 (1) either from the date of his promotion to the post or from the date of drawl of his next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided he has not been granted Level-11 in the Pay Matrix (pre-revised PB-3 Rs. 15600-39100 + 6600 Grade pay) under ACP/MACP Scheme.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of his service will be the same as are applicable to other employees of the Institute

[इलियास पी.आई./Ealias P.I.] 28/12/18
प्रशासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

श्री ओ.पी.यादव, वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट/ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट / Sh. O.P. Yadav, Sr. Physiotherapist/ Occupational Therapist

द्वारा- आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पी.एम.आर, विभाग / Prof. & Head, Deptt of PMR
प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य, एन.सी.आई., झझर / Head, NCI, Jhajjar
- 2 आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पी.एम.आर, विभाग / Prof. & Head, Deptt of PMR
- 3 स्थापना अनुभाग, डी.ओ. / Establishment Section, (DO)
- 4 लेखा अनुभाग - II एवं III / Accounts Section, II & III
- 5 सामान्य भविष्य निधि / सामान्य / संपदा / ए.सी.आर.अनुभाग / GPF Section / General Section / Estate Section / ACR Cell
- 6 एस.सी. / एस.टी. / सतर्कता विभाग / SC/ST Cell / Vigilance Cell
- 7 गार्ड फाईल, भर्ती प्रकोष्ठ / Guard file, Recruitment Cell

7 प्रोफेसर इंचार्ज, कंप्यूटर सुविधा -
Professor In Charge- Computer Facility-

कृप्या इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करे / kindly upload the same on the Institute website

